न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

सीताराम बनाम नानी देवी वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालील में जारी हुए
	इस्त प्र.सं.-34/2019	
4-10-19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में समयाभाव के कारण निर्णय नहीं लिखा जा सका। वास्ते पुनः बहस पत्रावली दिनांक 31-10-19 को पेश हो। PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त है।	
31-10-19	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकैन उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 7-11-19 को पेश हो।	
07.11.2019	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नम्बर 1232, 1233/2, 1235, 1239, 1240, 1241, 1243/2 कुल किता 7 कुल रकबा 4.11 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है। जिसके सम्पूर्ण भाग पर वादी अर्सा करीब 40 वर्षो से काबिज काश्तकार चला आ रहा है। खसरा नम्बर 1242 रकबा 0.10 है0 अवस्थित तन् ग्राम देवीपुरा के हिस्सा 2/3 भाग पर वादी अर्सा करीब 40 वर्षो से काबिज काश्तकार चला आ रहा है। उक्त भूमियों पर वादी करीबन 40 वर्षो से काबिज काश्तकार चला आ रहा है। उक्त भूमि की वर्तमान खातेदारी वादी के पिता एंव प्रतिवादी नम्बर 1 ता 8 के पति/पिता/नाना नानगराम पुत्र श्योलाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। उक्त मृत्तक खातेदार नानगराम के जीवनकाल से ही वादी उक्त वादग्रस्त भूमियों पर काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 एंव प्रतिवादी नम्बर 5 ता 8 की मृत्तक माता मोहनी देवी ने उक्त भूमि से जुड़े तमाम हक अधिकार का वादी के हक में त्याग कर दिया था। जिस पर प्रतिवादी नम्बर 1 ता 8 का कभी भी कब्जा काश्त एंव मालिकाना हक अधिकार किसी किस्म का नहीं रहा है। वादी एंव प्रतिवादी नम्बर 1	

(2)

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर)

.... बनाम ....

सीताराम बनाम् नाथीदेवी वगैरा

किस्म मुकदमा ....दावा बाबत उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा............ सन् ....

मुकदमा नं. 34/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व अहकाम हुक्म में जज
	ता 8 एक ही परिवार के सदस्य है। उक्त भूमि के खातेदार नानगराम की मृत्यु के उपरान्त प्रतिवादी नं. 1 ता 8 के मन में बदनियति आ गई तथा प्रतिवादी नं. 1 ता 8 वादी के हक में उक्त भूमि की खातेदारी दुरूस्त करवाने में आनाकानी कर रहे है तथा उक्त भूमि की विरासत की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाकर उक्त भूमि को अन्य दीगर व्यक्तियों को अन्तरण करने व खुर्द-बुर्द करने की धमकियॉ दे रहे है। जिसका उनको कोई अधिकार किसी किस्म का नहीं है। वादी अर्सा करीब 40 वर्षो से काबिज काश्तकार चला आ रहा होने से वादी उक्त वादग्रस्त भूमि का अपने आप को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है। वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा करने व गलत राजस्व रिकार्ड की आड़ में बिना तकासमा कराये अन्य दीगर को अन्तरण करने की एलानियां धमकियां देने पर वाद कारण दर्ज होने पर दावा करने लाजिम आया। वकील वादी ने उक्तानुसार वादी को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतु निवेदन वादी ने वादपत्र में किया है। प्रकरण में वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 के मध्य आपस में राजीनामा हो चुका है तथा प्रतिवादी नम्बर 5 ता 8 की ओर से इकबाली जवाब दावा भी पेश किया जा चुका है। प्रतिवादी नम्बर 9 ता 13 की सम्मन तामील असालतन हो जाने एंव हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। साक्ष्य वादी में वादी सीताराम व गवाह प्रभूदयाल गूर्जर के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हुए। जो शामिल पत्रावली है। हमने वकील वादी की बहस पर सगौर मनन किया। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र व उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में वादी व	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

सीताराम बनाम नाथीदेवी वगै0
दावा बाबत उदघोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नं. 34/2019

प्रतिवादीगण के मध्य आपस में राजीनामा हो चुका है एंव शेष प्रतिवादी नम्बर 5 ता 8 की ओर से वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार करते हुए इकबालिया जवाब दावा भी पेश हो चुका है। प्रकरण में मुख्य रूप से वादपत्र में अंकित विवरणानुसार वादी अपने पक्ष में उसके पिता नानगराम पुत्र श्योपालराम उर्फ श्योलाराम ब्राह्मण के द्वारा अपने पुत्र सीताराम वादी के हक में एक अनरजिस्टर्ड वसीयत लेख दिनांक 15.6.2015 जो नोटेरी पब्लिक से तस्दीक किया हुआ है के आधार पर अकेले अपने नाम खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का वाद पेश किया गया है। सरपंच ग्राम पंचायत हाथीदेह द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र अनुसार नानगराम के सीताराम पुत्र के अलावा चार पुत्रियॉ व एक पत्नि भी वारिसान् होना प्रकट होता है। वादी अनरजिस्टर्ड वसीयत लेख दिनांक 15.6.15 के आधार पर अपने नाम खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराना चाहता है। चूंकि वसीयत लेख नोटेरी पब्लिक से सम्बन्धित है जो अनरजिस्टर्ड है। वसीयत में हक के लिए नियमावली 135 (2) एल0आर0एक्ट के तहत नामान्तकरण की कार्यवाही तहसीलदार स्तर से सम्पादित की जाती है। तदनुसार वादी वहॉ आवेदन करें अथवा सिविल न्यायालय में वसीयत को प्रोबेट कराकर उचित अनुतोष प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार उक्त वादपत्र में अंकित भूमि को सिद्ध करने में वकील वादी पूर्णतया असफल रहा है। वादग्रस्त भूमि को अनरजिस्टर्ड वसीयत लेख के आधार पर अकेले वादी के हक में सिद्ध नहीं होने से वादपत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतित नहीं होता है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर अस्वीकार कर खारीज किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

(लक्ष्मीकान्त गुप्ता)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर(सीकर)

P.T.O.

Scanned by CamScanner